न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 137/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भारूराम पुत्र भेराराम, 2. केहनाराम पुत्र नवलाराम, जातियान–जाट, निवासी–सड़ा धनजी, तहसील–सिणधरी व जिला बाड़मेर		1. लिखमाराम पुत्र भेराराम, जाट, निवासी सड़ा धनजी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर 2. उपखण्ड अधिकारी सिणधरी, जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार सिणधरी, बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.01.2022 जो राजस्व अपील संख्या 330/2021 अनवान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम रामाराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से
3– रेस्पो0 संख्या एक बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम–सड़ा धनजी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 601/2 रकबा 0.0081 हैक्टेयर का खातेदार है और उक्त खेत में कब्जा–काश्त कर रहा है। और खेत के एक किनारे पर सड़क चल रही है। ग्राम सड़ा धनजी से भेडाना की सड़क को आपस में जोडने के लिये पटवारी हल्का के द्वारा धारा 130, 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट में कदीमी रास्ता का प्रकरण बनाकर उपखण्ड अधिकारी सिणधरी से समक्ष प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में पेश किया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के द्वारा दिनांक 08–11–2021 को दर्ज किया गया और आगामी पेशी तारीख 11–01–2022 रखी गयी और उसी दिन अपीलान्ट को बिना नोटिस भेजे ही एकतरफा कार्यवाही कर बहस सुनकर उसी दिन उक्त पत्रावली पर आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी ने अपीलान्टगण को बिना नोटिस तामिल करवाये और सुनवाई का अवसर नहीं देकर न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। पटवारी हल्का ने उक्त नोटिस पर जानबुझ कर और पक्षकारान को उक्त रास्तें की जानकारी से वंचित रख कर नोटिस के पृष्ट भाग पर पक्षकार हाजिर नही मिला और मकान पर चस्पा करना लिख दिया जबकि पक्षकार एक वृद्व पुरूष है जो घर पर ही रहतें है और परिवार के बाकी सदस्य भी घर पर ही रहतें है जिनको नोटिस तामील नहीं करवाकर गलत

टिप्पणी लिखी है और पक्षकारान के खेत को खराब करने व उन्हे तंग व परेशान करने की नियत से उनके खसरे में रास्तें को मोड़ देकर उक्त प्रकरण तैयार किया गया है जबकि मौके पर उक्त खसरे में कोई रास्ता नही चल रहा है। जिससे उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टगण के खसरा संख्या 601/2 के पडोसी खातेदार के खसरा संख्या 598/7 को रास्ते से जोडने के लिये यह प्रकरण बनाकर पेश किया है। इससे पहले ही 598/7 में ही सड़क से मिल जाता है और वह भी बिना किसी मोड़ के एकदम सीधा रास्ता पड़ता है जबकि अपीलान्ट का खेत खराब करने के लिये उक्त खसरे में मोड़ देकर रास्ता का प्रकरण बनाया गया है। जो नक्शा देखने से स्पष्ट हो रहा है। जिसके संबंध में किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट मय तलबी पटवारी के द्वारा नही करवाई गयी है। पटवारी पायलां कलां के द्वारा उक्त रास्ता को मात्र खसरा संख्या 616/2 को उनके खेत तक नही पहुचा कर उनके घर तक का कटाण करवाया गया है जबकि मौके पर ऐसा कोई मार्ग नहीं चल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के द्वारा दिनांक 11–01–2022 को एक तरफा बहस व पत्रावली में पेश खसरो के खातेदार को तलबी का नोटिस जारी किये बिना और विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं देकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर और न्याय का गला घोट कर आनन फानन में उसी दिन आदेश पारित कर दिया गया, जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–01–2022 निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपीलान्ट व उत्तरादाता लिखमाराम को सुनवाई का उचित अवसर देने व अपना पक्ष पेश करने का अवसर प्रदान करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिणधरी के द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ग्राम सड़ा धनजी के प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार ऐसे चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी व नक्शे में अंकन नहीं है। प्रासंगिक नियम 59, 60, 66, 86 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहें बारहमासी रास्ते/ग्रेवल सड़क/डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते/सड़क के रूप में अभिलेखित नहीं है को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। जिसके तहत ग्राम सड़ा धनजी में एक सडा सड़क से भेडाना सड़क तक (स्थान का नाम) वर्तमान में चल रही है। जिसका अंकन संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिषिष्ट ''अ'' में वर्णित विवरण अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता/सड़क दर्ज करने के आदेश करावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार सिणधरी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2022 को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पारित अपीलाधीन निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं

अध्ययन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से कथन किया कि है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही उनको विधिक रूप से नोटिस तामील करवाये गये। जबकि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान भूमि में खसरा संख्या 601/2 अपीलान्टस के खसरा नम्बरान की प्रभावित भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विवेचन व विश्लेषण के पश्चात यह पाया कि अपीलान्टस को जारी नोटिस विधिवत रूप से तामील नहीं करवाये गये है और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना पाया गया है। लिहाजा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की भावना के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2022 के क्रम में प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार सिणधरी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका नक्शा, मौका रिपोर्ट तैयार कर उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर